



THE PLASTICS EXPORT
PROMOTION COUNCIL

दि प्लास्टिक एक्सपोर्ट प्रमोशन कौन्सिल

(भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित)

THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL

(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

संदर्भ: प्लेक्स/सर्क/166

दिनांक: 14 मई 2026

को

प्लेक्सकौन्सिल के सभी सदस्य / सीओए सदस्य

प्रिय महोदय/महोदया,

विषय: निर्यात प्रोत्साहन मिशन के अंतर्गत पूर्व और पश्चात निर्यात ऋण के लिए ब्याज सब्सिडी सहायता पर स्पष्टीकरण

संदर्भ: डीजीएफटी व्यापार सूचना संख्या 03/2026-27 दिनांक 13.05.2026।

हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि निर्यात प्रोत्साहन मिशन के अंतर्गत पूर्व और पश्चात निर्यात ऋण पर ब्याज सब्सिडी सहायता संबंधी स्पष्टीकरणों के लिए व्यापार सूचना जारी की गई है। यह निर्णय लिया गया है कि जिन कंपनियों को वित्त वर्ष 2025-26 (02.01.2026 को या उसके बाद) में पूर्ववर्ती यूडीआईएन का उपयोग करके ऋण वितरित किया गया था, और साथ ही उन संस्थाओं को भी, जिन्हें यूआईएन प्राप्त होने से पहले 02.01.2026 को या उसके बाद ईपीएम के तहत ऋण वितरित किया गया था, उन्हें यूआईएन प्राप्त करने के लिए एक अवसर प्रदान किया जाएगा।

अतः, मौजूदा दिशा-निर्देशों में निम्नलिखित संशोधन जारी किए जाते हैं।

पैरा नंबर	मौजूदा पाठ	संशोधित/जोड़ा गया पाठ
एचबीपी पैराग्राफ का मसौदा तैयार करें X.4(d)	<p>संस्था को निम्नलिखित जानकारी प्रदान करनी होगी:</p> <p>उनके ऋण के लिए लागू यूआईएन बैंक, और बैंक रिपोर्ट करेगा ब्याज अनुदान दावे संबंधित से मैप किया गया यूआईएन.</p> <p>एक नई विशिष्ट पहचान नंबर (यूआईएन) आवश्यक होगा उत्पन्न होने वाला, प्रतिबिंबित करते हुए मामलों में संशोधित बैंक विवरण जहां उधारकर्ता बदलता है ऋण देने वाला बैंक।</p> <p>यूआईएन की पोर्टेबिलिटी नहीं होगी अनुमति दी गई है, और मौजूदा यूआईएन इसे स्थानांतरित नहीं किया जाएगा नया बैंक।</p> <p>लागू होने वाली ब्याज सब्सिडी की दर वही होगी जो दर लागू होती है। ऋण की तिथि पर प्रचलित वितरण।</p>	<p>संस्था को निम्नलिखित जानकारी प्रदान करनी होगी:</p> <p>उनके ऋण देने वाले बैंक को लागू यूआईएन, और बैंक ब्याज की रिपोर्ट करेगा सबवैशन दावों को मैप किया गया संबंधित यूआईएन।</p> <p>यदि उधारकर्ता अपना ऋण देने वाला बैंक बदलता है, तो संशोधित बैंक विवरण को दर्शाने वाला एक नया विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईएन) उत्पन्न करना आवश्यक होगा।</p> <p>यूआईएन की पोर्टेबिलिटी की अनुमति नहीं दी जाएगी, और मौजूदा यूआईएन को नए बैंक में स्थानांतरित नहीं किया जाएगा।</p> <p>क. वित्तीय वर्ष 2025-26 (02.01.2026 से 31.03.2026) –</p> <p>पात्र पूर्व-शिपमेंट या पोस्ट-शिपमेंट निर्यात ऋण के वितरण की तिथि के बाद उत्पन्न यूआईएन के संबंध में ऋण देने वाले बैंक द्वारा ब्याज सब्सिडी के दावे प्रस्तुत किए जा सकते हैं, जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन हैं:</p> <p>(i) पात्र निर्यात ऋण का वितरण 02.01.2026 को या उसके बाद किया गया है; और</p>

(ii) यूआईएन 31.05.2026 को या उससे पहले जनरेट किया गया हो।

वार्षिक निगरानी के प्रयोजन के लिए, निर्यातक यह सुनिश्चित करेगा कि यूआईएन को विशेष रूप से उस वर्ष का चयन करके उत्पन्न किया जाए जिसमें बैंक द्वारा संवितरण किया गया था।

ऐसे मामलों में, ब्याज सब्सिडी ऋण वितरण की तारीख से स्वीकार्य होगी, न कि केवल यूआईएन जनरेशन की तारीख से।

बैंक यह सुनिश्चित करेंगे कि पात्र निर्यातकों के लिए ब्याज सब्सिडी की गणना की जाए और 02.01.2026 से शुरू होने वाली अवधि सहित, प्राथमिकता के आधार पर तदनुसार जमा की जाए।

बी. वित्तीय वर्ष 2026-27 से आगे –

पात्र पूर्व-शिपमेंट या पश्चात-शिपमेंट निर्यात ऋण के मूल वितरण की तिथि से 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर प्राप्त यूआईएन (UIN) को ब्याज सब्सिडी सहायता की स्वीकार्यता के उद्देश्य से वैध माना जाएगा। ऐसे मामलों में ब्याज सब्सिडी वितरण की तिथि से ही स्वीकार्य होगी।

ग. लागू होने वाली ब्याज सब्सिडी की दर ऋण वितरण की तिथि पर प्रचलित दर होगी।

घ. बैंक यह भी सुनिश्चित करेंगे कि यूआईएन के संबंध में दायर किया जा रहा दावा उस वर्ष से संबंधित हो जिसमें ऋण का वितरण किया गया था/किया जा रहा है।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे विस्तृत व्यापार सूचना के लिए यहां देखें:

https://membership.plasticsepc.org/mails_images/20260514120251.pdf

यह आपकी जानकारी के लिए है।

सस्नेह,

भारती परवे

उप निदेशक – व्यापार एवं नीति

प्लेक्सकॉन्सिल